मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

क्रमांक/एफ–7–22/93/10/3 भोपाल, दिनांक 26–12–94

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
भोपाल

विषय :– **मध्यप्रदेश में निस्तार सुविधायें–भविष्य हेतु नई नीति।**

संदर्भ :– इस विभाग का पत्र क्रमांक 7/13/75/10/2 दिनांक 12–4–77.

––0––

मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जन साधारण के दैनिक जीवन में शाकीय वनों (जो वन विभाग के प्रबंध में है) से निस्तार सुविधाओं का बड़ा महत्व रहा है। यह निस्तार सुविधायें मुख्यतः जलाऊ लकड़ी, बांस, निस्तारी इमारती लकड़ी, कांटे तथा पशुओं की चराई बाबत् है।

2/ राज्य शासन द्वारा संदर्भ अंकित पत्र के आधार पर जो सुविधायें दी जा रही थी उन सुविधाओं में संशोधन किया गया है। अतः अब यह सुविधायें निम्नानुसार है:–

(1) राज्य में प्रचलित निस्तार व्यवस्था को समाप्त करते हुये (बस्तर जिले एवं बसोड़ो के लिये प्रचलित प्रावधानों को छोड़कर) शेष क्षेत्र के लिये निम्नानुसार निस्तार नीति निर्धारित की जाती है :–

(क) निस्तार के अन्तर्गत सुविधा की पात्रता केवल उन ग्रामों के ग्रामीणों के लिये पूर्वानुसार रहेगी जो कि वनों की सीमा के पॉच किलोमीटर की परिधि के अन्तर्गत स्थित है। पॉच किलोमीटर की परिधि की गणना में यदि किसी ग्राम का आंशिक भाग भी आता है तो वह पूर्ण ग्राम परिधि के भीतर जायेगा। ऐसे ग्रामों को वन विभाग अधिसूचित करेगा।

(ख) नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्र चाहे वे वन सीमा के 5 कि.मी. की परिधी में या उनके बाहर स्थित हो, में वन विभाग वनोपज प्रदाय की कोई व्यवस्था नहीं करेगा। इन क्षेत्रों के निवासी स्थानीय बाजार से ही वनोपज प्राप्त करेगें।

(ग) पॉच किलोमीटर की परिधि के बाहर स्थित ग्रामों को निस्तार के अन्तर्गत कोई रियायत प्राप्त नहीं होगी। परन्तु उपलब्धता के आधार पर पूर्ण बाजार मूल्य पर इन ग्रामों के ग्रामीणों को ग्राम पंचायत के माध्यम से वनोपज उपलब्ध कराई जा सकेगी।

(घ) वनों से स्वंय के उपयोग के लिये अथवा बिक्री के लिये सिरबोझ द्वारा उपलब्धता अनुसार गिरी, पड़ी, मरी, सूखी जलाऊ लकड़ी ले जाने की सुविधा पूर्ववत् रहेगी।

(2) पॉच किलोमीटर की परिधि में आने वाले ग्रामों को उपलब्धता के आधार पर वनोपज का प्रदाय संयुक्त वन प्रबंधन के लिये गठित ग्राम वन समिति एवं वन सुरक्षा समिति के माध्यम से किया जावेगा।

(3) जिन पॉच किलोमीटर तक के ग्रामों में संयुक्त वन प्रबंध समिति गठित नहीं हुई है, वहॉ ऐसी समिति गठित होने तक उपलब्धता के आधार पर स्थापित विभागीय निस्तार डिपो से वनोपज का प्रदाय किया जायेगा। इस प्रकार के निस्तार डिपो की स्थापना ऐसे ग्रामों के समूल के लिये एकजाई रूप से की जायेगी।

(4) वनों से पॉच किलोमीटर से अधिक दूरी वाले ग्रामों के लिये संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा प्रस्ताव पारित कर वनोपज की मॉग की जाती है तो उपलब्धता के आधार पर उन्हें ऐसी वनोपज निर्धारित मूल्य पर जिसमें पूर्ण रॉयल्टी, विदोहन, परिवहन एवं अन्य वास्तविक व्यय का समावेश रहेगा, प्रदाय की जायेगी। तथा इसके लिये वनोपज का मूल्य अग्रिम रूप से पटाना होगा। इसके लिये ग्राम पंचायतों के पास "रिवालविंग कोष" हेतु वानिकी प्रोजेक्ट में प्रावधान करने के लिये "प्रोजेक्ट निगोसियेशन्स" के समय प्रयास किये जाऐ।

(5) उपरोक्तानुसार वनोपज प्रदाय करने के पूर्व वन मंडल अधिकारी ग्राम पंचायतों को वनोपज की श्रेणीवार दरों की जानकारी देगा। ग्रामीणों को वनोपज वितरण एवं डिपो प्रबंधन का दायित्व ग्राम पंचायत का रहेगा। सामग्री वितरण करने हेतु ग्राम पंचायत अतिरिक्त वितरण व्यय एवं युक्तियुक्त लाभ को ध्यान में रखते हुये दर निर्धारण कर सकेगी।

(6) वन विभाग द्वारा निस्तारी वनोपज का प्रदाय 1 जनवरी से 30 जून तक प्रति वर्ष किया जायेगा।

(7) बस्तर जिले में तथा राज्य में बसोड़ों के लिये पूर्व निस्तार व्यवस्था यथावत् प्रचलित रहेगी।

(8) यह नई व्यवस्था दिनांक 1–7–95/1–7–96 से प्रभावशील होगी।

हस्ता.

(बी.एस.बासवान) प्रमुखसचिव

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग

पृ.क्र./एफ–7–22/93/10/3 भोपाल, दिनांक 26–12–1994

प्रतिलिपिः–

1/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)

2/ मुख्य वन संरक्षक (टास्क फोर्स)

3/ समस्त वन संरक्षक, मध्यप्रदेश

4/ संचालक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

5/ समस्त जिलाध्यक्ष मध्यप्रदेश

6/ समस्त वन मंडलाधिकारी क्षेत्रीय मध्यप्रदेश

7/ समस्त संभागीय आयुक्त मध्यप्रदेश

8/ प्रमुख सचिव, म0प्र0/राजस्व/ /अ.जा.क./वित्त विभाग

हस्ता.

(बी.एस.बासवान) प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग